प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(मा0),
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः डी०ई०/2415-2527 /2022—23 दिनांक 18 सितम्बर, 2022

विषयः प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी पदों पर चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपुर्यक्त विषयक विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग—5, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या—2058/15—05—2021—1600(359)/2014 दिनांक 25.11.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी पदों(समूह—ग) पर चयन प्रकिया का निर्धारण किया गया है।

2— उक्त के अनुक्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त लिपिक पदों पर चयन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या—1154/15—5—2022—1800(359)/2014 दिनांक 04 जुलाई, 2022 द्वारा समय—सारणी निर्धारित की गयी है। किन्तु अपरिहार्य कारणों से शासनादेश दिनांक 04 जुलाई, 2022 द्वारा निर्गत समय—सारणी के अनुसार कार्यवाही सम्भव न हो सकी।

3— तत्क्रम में शासनादेश संख्या—1632/15—05—2022— 1600(359)/2014 दिनांक 17 सितम्बर, 2022 द्वारा लिपिक चयन प्रकिया को पूर्ण किये जाने की अंतिम तिथि में 01 माह की वृद्धि करते हुए संशोधित अंतिम तिथि 16 जनवरी, 2023 निर्धारित की गयी है।

तदनुपालन में संशोधित समय—सारणी(**संलग्नक—1**) तथा निर्धारित प्रारूप(**संलग्नक—2**) इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित है संशोधित समय—सारणी का व्यापक प्रचार—प्रसार कर समस्त प्रबन्धकों को सूचित करें तथा शासनादेश दिनांक 25 नवम्बर, 2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार समयान्तर्गत कार्यवाही कराते अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव शिविर कार्यालय शिक्षा निदेशालय(मा0), उ0प्र0 लखनऊ में तत्काल उपलब्ध कराने के साथ ही (**संलग्नक—3**) निर्धारित प्रारूप पर प्रतिदिन सायं 5:00 बजे तक अपने मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के माध्यम से उपलब्ध कराये।

<u>संलग्नकः उक्तवत्।</u>

भवदीय,

डॉ0(सरिता तिवारी),
शिक्षा निदेशक(माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृ0सं0: डी०ई०/ /2022—23 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग—5, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक), मुख्यालय प्रयागराज।
3. समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने मण्डल में उपरोक्त आदेशों का अनुपालन कराते हुए प्रभावी अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

डॉ0(सरिता तिवारी),
शिक्षा निदेशक(माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(मा0),
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः शि0शि0/ /2022-23 दिनांक 19 सितम्बर, 2022

विषयः प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी पदों पर चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-2058/15-05-2021-1800(358)/2014 दिनांक 25.11.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी पदों(समूह-ग) पर चयन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है।

2- उक्त के अनुक्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त लिपिक पदों पर चयन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-1154/15-5-2022-1800(358)/2014 दिनांक 04 जुलाई, 2022 द्वारा समय-सारणी निर्धारित की गयी है। किन्तु अपरिहार्य कारणों से शासनादेश दिनांक 04 जुलाई, 2022 द्वारा निर्गत समय-सारणी के अनुसार कार्यवाही सम्पन्न न हो सकी।

3- तत्क्रम में शासनादेश संख्या-1832/15-05-2022-1800(358)/2014 दिनांक 17 सितम्बर, 2022 द्वारा लिपिक चयन प्रक्रिया को पूर्ण किये जाने की अंतिम तिथि में 01 माह की वृद्धि करते हुए संशोधित अंतिम तिथि 16 जनवरी, 2023 निर्धारित की गयी है।

तदनुपालन में संशोधित समय-सारणी(संलग्नक-1) तथा निर्धारित प्रारूप(संलग्नक-2) इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित है संशोधित समय-सारणी का व्यापक प्रचार-प्रसार कर समस्त प्रबन्धकों को सूचित करें तथा शासनादेश दिनांक 25 नवम्बर, 2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार समयान्तर्गत कार्यवाही करते अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव शिविर कार्यालय शिक्षा निदेशालय(मा0), उ0प्र0, लखनऊ में तत्काल उपलब्ध कराने के साथ ही (संलग्नक-2) निर्धारित प्रारूप पर प्रतिदिन सायं 5.00 बजे तक अपने मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के माध्यम से उपलब्ध करायें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

डॉ0(सरिता तिवारी),
शिक्षा निदेशक(माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृ0सं0: शि0शि0/ 2415-25-27 /2022-23 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक), मुख्यालय प्रयागराज।
3. समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने मण्डल में उपरोक्त आदेशों का अनुपालन कराते हुए प्रभावी अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

डॉ0(सरिता तिवारी),
शिक्षा निदेशक(माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

अंलग्नक-1

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त लिपिक पदों पर चयन किये जाने हेतु निर्धारित समय–सारणी

क्र0सं0	कार्यवाही	अपेक्षित समय
1.	निदेशालय द्वारा जनपदों को निर्देश प्रेषण	18.09.2022 तक
2.	संस्था के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रस्ताव प्रेषण।	24.09.2022 तक
3.	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा पदों की पुष्टि, औचित्य, मृतक आश्रित एवं अधिसंख्य पद का समायोजन, आरक्षण नियमों का अनुपालन करते हुए जनपद स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों का नियमो/विनियमों के आलोक में परीक्षण करने के उपरान्त सत्यापित प्रति स्पष्ट संस्तुति/असंस्तुति के साथ प्रस्ताव शिक्षा निदेशक(मा0), उ0प्र0 को प्रेषण।	26.09.2022 तक
4.	शिक्षा निदेशक(मा0), उ0प्र0 लखनऊ द्वारा जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों का नियमानुसार परीक्षण कराने के उपरान्त अनुमति हेतु कार्यवाही।	30.09.2022 तक
5.	शिक्षा निदेशालय से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रबन्ध तन्त्र को लिपिक पद भरने हेतु विज्ञापन की अनुमति प्रदान करना	03.10. 2022 तक
6.	नियुक्ति प्राधिकारी/प्रबन्ध तन्त्र द्वारा विनियम 101 के खण्ड (3) के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर एवं जनपद में सर्वाधिक प्रसार वाले (जिला सूचना अधिकारी द्वारा दी गयी सूची के प्रथम 05 में से) कम से कम दो राज्य-स्तरीय समाचार पत्रों में विद्यालयवार/आरक्षणवार पदों का विज्ञापन प्रकाशित कराना(जिला विद्यालय निरीक्षक की ईमेल आईडी विज्ञप्ति में प्रकाशित कराया जायेगा)। आवेदन पत्र भरने हेतु कम से कम 21 दिन का समय दिया जायेगा।	06.10.2022 तक
7.	अभ्यर्थियों द्वारा अपना आवेदन रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से संस्था प्रबन्धक को प्रेषित करने के साथ ही उसकी छायाप्रति जिला विद्यालय निरीक्षक को उनके ई–मेल आईडी0 पर प्रेषित किया जाना	27.10.2022 तक
8.	संस्था प्रबन्धक द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को अभ्यर्थी द्वारा PET में प्राप्त परसेन्टाइल स्कोर के आधार पर मेरिट सूची तैयार कराया जाना।	06.11.2022 तक
9.	मेरिट के आधार पर 01 पद के सापेक्ष 10 आवेदकों को कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा हेतु तथा सम्बन्धित शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्थानुसार कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा कराया जाना।	22.11.2022 तक
10.	कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा क्वालीफाई करने वाले अभ्यर्थियों की PET में प्राप्त परसेन्टाइल स्कोर के आधार पर मेरिट सूची बनाना तथा विज्ञापित पदों के सापेक्ष 03 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रण।	04.12.2022 तक
11.	विनियम 101 के खण्ड(1) में गठित चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का 20 अंक का साक्षात्कार।	10.12.2022 तक
12.	चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की PET परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंको के योग के आधार पर मेरिट सूची बनाना।	17.12.2022 तक
13	प्रबन्धक द्वारा चयन समिति से प्राप्त चयनित सूची समस्त अभिलेखों सहित जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषण।	24.12.2022 तक
14.	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कार्यवृत्ति तैयार कराकर अभिलेखों का सम्यक परीक्षण करते हुए अपने अभिमत सहित प्रस्ताव मण्डलीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।	01.01.2023 तक
15.	मण्डलीय समिति द्वारा नियमों के आलोक एवं अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरान्त वित्तीय अनुमन्यता निर्गत करना।	08.01.2023 तक
16.	नियुक्ति प्राधिकारी/प्रबन्धक द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत करना।	16.01.2023 तक

अतिमहत्वपूर्ण

संख्या 2057/15-08-2021-1000(160)/2014

प्रेषक,

आराधना शुक्ला
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उ० प्र० शासन।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-8 लखनऊ: दिनांक 25 नवम्बर, 2021

विषय: अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी/शिक्षणेत्तर पदों पर चयन हेतु चयन प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक सामान्य(1)प्रथम/4363/2018-19, दिनांक-13.08.2018, सामान्य(1)प्रथम/7256/2018-19, दिनांक-26.03.2019, सामान्य(1)प्रथम/7260/2018-19, दिनांक-26.03.2019, सामान्य(1)प्रथम/7265/2018-19, दिनांक-28.03.2019, सामान्य(1)प्रथम/7274/2018-19, दिनांक-29.03.2019, सामान्य(1)प्रथम/2047/2020-21, दिनांक-17.08.2020, सामान्य(1)तृतीय/11469/2020-21, दिनांक-11.11.2020, सामान्य(1)तृतीय/11690/2020-21, दिनांक-19.11.2020 एवं सामान्य(1)तृतीय/11767/2020-21, दिनांक-19.11.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी/शिक्षणेत्तर पदों (समूह-ग) पर चयन/नियुक्ति हेतु प्रक्रिया निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2- अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी/शिक्षणेत्तर पदों (समूह-ग) पर चयन/नियुक्ति हेतु इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अध्याय-तीन के विनियम 101 में व्यवस्था विद्यमान है। विद्यमान व्यवस्था में प्रश्नगत पदों पर चयन/नियुक्ति की कोई स्पष्ट प्रक्रिया विहित न होने के कारण प्रश्नगत अधिनियम-1921 के अध्याय-3 के विनियम 101 में विद्यमान व्यवस्था में संशोधन कर उसके स्थान पर प्रतिस्थापित व्यवस्था/चयन प्रक्रिया का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है:-

विद्यमान व्यवस्था/चयन प्रक्रिया	प्रतिस्थापित व्यवस्था/चयन प्रक्रिया
1	2
विनियम-101	विनियम-101

Scanned with CamScanner

नियुक्ति प्राधिकारी निरीक्षक के पूर्वानुमोदन के सिवाय किसी मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त संस्था के शिक्षणेत्तर (लिपिक संवर्ग) पद की रिक्ति को नहीं भरेगा। प्रतिबन्ध यह है कि जिला विद्यालय निरीक्षक समस्त रिक्तियों की संख्या शिक्षा निदेशक, माध्यमिक को उपलब्ध करायेगा तथा संस्था में छात्र संख्या दर्शाते हुए पदों को भरे जाने के औचित्य को भी स्पष्ट करेगा। शिक्षा निदेशक, माध्यमिक से आदेश प्राप्त होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक उक्त रिक्तियां (चतुर्थ श्रेणी रिक्तियों	(1) विद्यालयवार चयन समिति अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक वर्गीय/शिक्षणेत्तर पदों पर चयन हेतु चयन समिति का गठन निम्नवत किया जायेगा 1 सम्बन्धित विद्यालय का प्रबन्धक अथवा प्रबन्ध समिति द्वारा नामित कोई व्यक्ति जो वर्तमान प्रबन्ध समिति का सदस्य हो। (विद्यालय प्रबन्ध समिति का अस्तित्व न होने की दशा में प्राधिकृत नियंत्रक उपरोक्त समिति के अध्यक्ष होंगे।) — अध्यक्ष 2 जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित सह जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा अन्य अधिकारी– — सदस्य सचिव 3 जिला सेवायोजन अधिकारी– — सदस्य (जिला सेवायोजन अधिकारी का पद रिक्त होने की दशा में जिलाधिकारी द्वारा नामित कोई जनपद स्तरीय अधिकारी) 4 जनपद में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य– — सदस्य 5 क्रम संख्या–1,2,3 व 4 में नामित सदस्यगण में से अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व न होने पर जिलाधिकारी द्वारा उनके प्रतिनिधित्व हेतु उक्त श्रेणी के किसी अधिकारी/अधिकारियों को नामित किया जायेगा। (2) आवेदन हेतु पात्रता– उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा सम्पन्न करायी गयी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (PET) में 50 एवं अधिक पर्सेंटाइल स्कोर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्रश्नगत चयन के लिये आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। (PET स्कोर से तात्पर्य आवेदन की तिथि पर उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की घोषित वैध स्कोर से है।)

[illegible] को भरने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को अनुमति प्रदान करेगा और अनुमति प्रदान करते समय शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों एवं पदों के औचित्य के लिए निर्धारित मानकों का

पालन करायेगा।"

(3) आवेदन की प्रक्रिया

प्रश्नगत चयन हेतु उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (PET) में 60 या अधिक परसेन्टाइल स्कोर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन निम्न प्रक्रिया के अनुसार आमंत्रित किया जायेगा -

- जनपद स्तर पर संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी के रिक्त पदों की सूचना सम्बन्धित प्रबन्धतंत्र द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को दी जायेगी।
- जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उक्त पदों की पुष्टि, औचित्य, मृतक आश्रित एवं अतिसंख्य पद का समायोजन, आरक्षण के नियमों का अनुपालन करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव शिक्षा निदेशक, माध्यमिक को प्रेषित किया जायेगा। तत्पश्चात शिक्षा निदेशक, माध्यमिक द्वारा नियमों के आलोक में औचित्य एवं आवश्यकता के परीक्षणोपरान्त प्रश्नगत पदों को भरे जाने हेतु आदेश निर्गत किया जायेगा। शिक्षा निदेशक के आदेश के उपरांत जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अध्याय–तीन के विनियम–101 की प्रतिस्थापित व्यवस्थानुसार पदों को भरने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी (प्रबंध तंत्र अथवा प्राधिकार नियंत्रक) को अनुमति प्रदान किया जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी/प्रबंध तंत्र माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर एवं जनपद में सर्वाधिक प्रसार वाले (जिला सूचना अधिकारी द्वारा दी गयी सूची के प्रथम 5 में से) कम से कम दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विद्यालयवार/ आरक्षणवार पदो का विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा।
- विज्ञापन में पद का वेतनमान व अन्य भत्ते, पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता, न्यूनतम आयु यदि कोई हो, के सम्बन्ध में विवरण दिये जायेंगे तथा आवेदन पत्र भरे जाने सम्बन्धी विस्तृत दिशा–निर्देश अंकित किया जायेगा। आवेदन पत्र भरने हेतु ऐसा अंतिम दिनांक (जो साधारणतया विज्ञापन प्रकाशन के दिनांक से 21 दिन से कम नहीं होना चाहिए) विहित करते हुए विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा।
- अभ्यर्थी द्वारा अपना आवेदन पत्र सम्बन्धित विद्यालय को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया जायेगा तथा उसकी छायाप्रति सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक के ई–मेल आई0 डी0 पर प्रेषित किया जायेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक की ई–मेल आई0डी0 को विज्ञप्ति में प्रकाशित कराया जायेगा।

(4) आरक्षण–

उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को उ0प्र0 सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांगजनों तथा उ0प्र0 की महिला अभ्यर्थियों को भी विद्यमान अद्यावधिक शासनादेशों/अध्यादेश/अधिनियम के अनुसार रिक्तियां बनने पर नियमानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

- उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–3/2019 /4/1/2002/का–2/19 टी0सी0–II दिनांक 14 मार्च, 2019 में विहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) को 10 प्रतिशत आरक्षण प्राविधानानुसार देय होगा।
- दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित पदों पर क्षैतिज आरक्षण दिव्यांग/विकलांग कल्याण अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 35/65–3–11–78/99, दिनांक 13.01.2011 के अनुसार देय होगा।

(5) आयु सीमा–

- प्रश्नगत विज्ञापन में अभ्यर्थी की आयु चयन वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए।

नोटः– उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसे अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी, जितनी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हो। कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–22/21/1983-कार्मिक–2, दिनांक 28.11.1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिक श्रेणी हेतु आरक्षित पदों के सापेक्ष आवेदन करने एवं आरक्षण का दावा करने वाले भूतपूर्व सैनिकों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) में विहित "भूतपूर्व सैनिकों की परिभाषा" के अन्तर्गत परिभाषित होना आवश्यक है और ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन की अन्तिम तिथि तक सेना से कार्यमुक्त होना अनिवार्य है। समाज के दिव्यांगजनों को उ0प्र0 सरकार के अद्यतन, नवीनतम विद्यमान कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश सं–18/1/2008–का–2–2008, दिनांक 03.02.2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

(6) आवेदन शुल्क:-

लिपिक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर आवेदन हेतु निम्नानुसार श्रेणीवार आवेदन शुल्क अनुमन्य होगा:-

क0सं0	श्रेणी	आवेदन शुल्क
1	अनारक्षित (सामान्य)/ अन्य पिछड़ा वर्ग	750.00
2	अनुसूचित जाति/जनजाति/ई0डब्ल्यू0एस0	500.00

(नोट:- आवेदन शुल्क बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल ऑर्डर एवं एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से सम्बन्धित संस्था के प्रबंधक/प्राधिकृत नियंत्रक/प्रबंध संचालक के पदनाम से संचालित खाते में जमा किया जायेगा)

(7) चयन हेतु शैक्षिक अर्हता:-

1. माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो।

2. माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के साथ-साथ केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी संस्था/शिक्षा बोर्ड/परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइन्स विषय को लिया गया हो। (कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-10/2016/3/1/2015-का-2 दिनांक 23 सितम्बर, 2016 के अनुसार)

अथवा

कम्प्यूटर संचालन का डोएक/निलिट द्वारा प्रदत्त सी0सी0सी0 प्रमाण पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण-पत्र।

अथवा

कम्प्यूटर साइन्स में डिप्लोमा/डिग्री। (कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-10/2016/3/1/2015-का-2 दिनांक 23 सितम्बर 2016 के अनुसार)

अथवा

कम्प्यूटर में अन्य योग्यता धारी यथा कम्प्यूटर में डिप्लोमा, डिग्री, पी०जी०डी०सी०ए०, डी०सी०ए०, एम०सी०एम० तथा ग्रेजुएशन अथवा उच्च डिग्री (बी०ए०, बी०एस०सी०, बी०टेक, एम०एस०सी०, एम०बी०ए०) में कम्प्यूटर के रूप अथवा एक सेमेस्टर में कम्प्यूटर कोर्स धारित। (कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2/2018/3/1/2015-का-2 दिनांक 05 जुलाई, 2018 के अनुसार)

3. कम्प्यूटर पर हिंदी टंकण गति न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट एवं कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण गति न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट होगी।

(8) <u>चयन प्रक्रिया</u>–

- आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की क्वालीफाईंग टंकण परीक्षा आयोजित की जायेगी। टंकण परीक्षा जनपद के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित की जायेगी। टंकण परीक्षा का अनुश्रवण तालिका के कॉलम-2 के बिन्दु (1) के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा।
- टंकण परीक्षा हेतु चयन समिति द्वारा 01 पद के सापेक्ष 10 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जायेगा। यदि 01 पद के सापेक्ष 10 से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया है तो PET में सर्वाधिक पर्सेंटाइल स्कोर प्राप्त करने वाले प्रथम 10 अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।
- कम्प्यूटर टंकण परीक्षा क्वालीफाईंग होगी। प्रबंधक द्वारा टंकण परीक्षा की निर्धारित तिथि की सूचना पंजीकृत डाक के माध्यम से न्यूनतम 15 दिवस पूर्व अभ्यर्थियों को प्रेषित की जायेगी साथ ही अभ्यर्थियों के ई-मेल आई० डी० पर भी टंकण परीक्षा की तिथि की सूचना दी जायेगी।
- टंकण परीक्षा क्वालीफाई करने वाले अभ्यर्थियों की PET में प्राप्त स्कोर के आधार पर मेरिट सूची बनायी जायेगी। उक्त मेरिट सूची में विज्ञापित पदों की संख्या के तीन गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
- चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का 20 अंक का साक्षात्कार लिया जायेगा।
- चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के PET परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेरिट सूची बनायी जायेगी। मेरिट सूची में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

- प्रबंधक द्वारा चयन समिति से प्राप्त चयनित सूची समस्त अभिलेखों सहित जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित की जायेगी।
- जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कार्यवृत्त तैयार कराकर, अभिलेखों का सम्यक् परीक्षण करते हुए अपने अभिमत सहित प्रस्ताव मण्डलीय समिति को प्रेषित किया जायेगा।
- मण्डलीय समिति द्वारा नियमों के आलोक एवं अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरांत वित्तीय अनुमन्यता निर्गत की जायेगी।
- चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रमाण-पत्रों का सत्यापन मूल संस्था से किया जायेगा तथा व्यय शुल्क सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा।
- चयन हेतु पदों एवं चयनित अभ्यर्थियों के विद्यालय में नियुक्ति के सम्बन्ध में विवाद होने की स्थिति में प्रकरण का निस्तारण मण्डलीय समिति द्वारा किया जायेगा।
- नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण एवं सक्षम प्राधिकारी एवं अभिसूचना इकाई (एल0आई0 यू0) द्वारा चरित्र/आपराधिक रिकॉर्ड विषयक प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात संस्था प्रबंधक द्वारा नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

(9) अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश–

- एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, अनुमन्य होगी।
- भूतपूर्व सैनिक तथा विकलांगजन उ0प्र0 शासन द्वारा अद्यावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा किया गया दावा स्वीकार नहीं होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते है, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रमाण-पत्र कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 18/1/2008-का-2-2008, दिनांक 03.02.2008 में निर्धारित प्रारूप पर हो तथा प्रमाण-पत्र में अभ्यर्थी की विकलांगता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो।
- ऐसे पुरूष अभ्यर्थी जो विवाहित है तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां है अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं माने जायेंगे।
- आवेदन स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक ही अभ्यर्थियों द्वारा

	धारित अर्हता स्वीकार की जायेगी। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद ग्रहण की गयी योग्यता/अर्हता पात्रता हेतु मान्य नहीं होगी। • किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को किसी प्रमाण-पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर प्रश्नगत चयन से प्रतिबंधित (Debar) किया जा सकता है। • हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आराधना शुक्ला)
अपर मुख्य सचिव

संख्या– 758 (1)/15–05–2021–1600(359)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी (माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी), उत्तर प्रदेश।
3. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन।
7. गोपन अनुभाग–1 को उनके पत्र सं0–4/3/23/2021–सी0एक्स0(1), दिनांक–16 नवम्बर, 2021 के संदर्भ में।
8. समस्त विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनु सचिव एवं अनुभाग अधिकारी माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
10. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
11. समस्त अपर शिक्षा निदेशक, संयुक्त शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

25/11/2021
(जय शंकर दुबे)
विशेष सचिव।

संलग्न

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी पदों पर प्रस्ताव उपलब्ध कराये जा सम्बन्ध में प्रतिदिन सायं–5:00 बजे तक सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रपत्र

क्र0सं0	मण्डल का नाम	जनपद का नाम	जनपद में प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	संस्तुति सहित प्रेषित प्रस्ताव की संख्या	जनपद में लम्बित प्रस्ताव की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						